

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.3 (ख) (1) अलेसे-11/15174-185

दिनांक:- 3 सितम्बर 2013

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 203/2013-14 दिनांक 21.08.2013 के क्रम संख्या 01 (मेरिट नं० 270-ए/2011) श्री भगवत प्रसाद सिंघल के नाम के कॉलम सं० 08 में अंकित "अतिरिक्त आयुक्त (माडा) जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर" के स्थान पर "कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग धौलपुर" पढा जावे।


निदेशक

क्रमांक: एफ.3 (ख) (1) अलेसे-11/15174-185

दिनांक:- 3 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. राचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये।
4. अतिरिक्त आयुक्त (माडा) जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर
5. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग धौलपुर
6. श्री भगवत प्रसाद सिंघल पुत्र श्री केदार नाथ केदार, हलवाई मैन मार्केट, कठुमार जिला अलवर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त कार्यालय में अविलम्ब आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं रेकार्ड संधारित करने हेतु
8. निजी सहायक, निदेशक
9. गोपनीय शाखा
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)